

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 129/18

अलवेल सिंह पुत्र रामलाल जाटव आयु 48 वर्ष
निवासी वार्ड नंबर 16 गांधीनगर गोहद तहसील
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

07-05-2018

आवेदक/अभियुक्त अलवेल सिंह की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 75/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336 व 323 भा0दं0सं0 तथा अप0क्र0 78/18 धारा 323, 294, 506, 427, 336, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 की केस डायरियों पुलिस प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण सहित प्राप्त।

संबंधित थानाप्रभारी द्वारा केस डायरी प्रस्तुत नहीं कर पाने के संबंध में गलती हो जाने के कारण क्षमा याचना चाही गई है। तदनुसार संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति करने से विरत रहे।

प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त अलवेल सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री गंभीर सिंह निगम द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गंभीर सिंह निगम द्वारा शपथ पत्र समर्थित प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध थाना गोहद में अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक स्थानीय निवासी है, कहीं भागकर फरार होने वाला नहीं है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर रहेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे अग्रिम जमानत पर

छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने उक्त दोनों मामलों में यद्यपि आवेदक/अभियुक्त अलबेल सिंह को वांछित होना बताया है, लेकिन उक्त दोनों मामलों में सभी अपराध को जमानतीय स्वरूप का होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० प्रचलन योग्य नहीं होना प्रकट किया है। अतः असत्य आधारों पर आवेदन पेश किया जाना बताते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक 75/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336 व 323 भा०दं०सं० तथा अप०क्र० 78/18 धारा 323, 294, 506, 427, 336, 147, 148, 149 भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं, जो कि सभी अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं और उक्त दोनों मामलों में सहअभियुक्तगण को संबंधित पुलिस थाना द्वारा गिरफ्तार करने के पश्चात अपराध जमानती होने के कारण जमानत पर रिहा किया गया है।

अतः उक्त दोनों मामलों में सभी अपराध जमानतीय स्वरूप के होने से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरियों विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

प्रतिलिपि:-

थाना प्रभारी गोहद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद